

डिक्री व मुकदमें ईवतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 315/2025

गुरविन्द्र सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी


बनाम

1. हरदेव सिंह पुत्र तार सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. सिमरदीप कौर पत्नी हरदेव सिंह जाति जटसिख नि.शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. रमनदीप कौर पुत्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रतिवादीगण
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कलवन्त सिंह मान वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सतोष सोलकी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में छोड़े गए हिस्सा के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा करवाकर वादी गुरविन्द्र सिंह को चक नं. 15 पीटीपी की ज.सं. 2073-76 के खाता सं. 103/82 में 2.222 है. नहरी व इसी चक के खाता सं. 79/70 में 0.0125 है. नहरी कृषि भूमि एव चक नं. 19 एएमपी ज.सं. 2070-73 के खाता सं. 133/45 में 0.076 है. नहरी कृषि भूमि व प्रतिवादी सं. 1 हरदेव सिंह को चक नं. 15 पीटीपी के खाता सं. 115/23 में 0.304 है. नहरी एव इसी चक के खाता सं. 103/82 में 0.202 है. नहरी कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं. 2 सिमरदीप कौर को चक नं. 15 पीटीपी की ज.सं. 2073-76 के खाता सं. 103/82 में 0.253 है. नहरी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज........नल........मुब्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक........अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....7.7.2025.....को जारी किया गया।

  
(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
भंगरिया